467

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 6 अगस्त, 1998 (श्रावण 15, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री हुकुम सिंह कराड़ा, राज्यमंत्री ऊर्जा, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5)-ऐ की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 1995-96 पटल पर रखेंगे.

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रमाशंकर भारद्वाज, सदस्य, श्योपुर जिले के -

(क) श्योपुर-कालापहा मार्ग के कालापहा नदी पर रपटा बनाये जाने,
(ख) श्योपुर-कुहासापुर मार्ग को राजमार्ग का दर्जा दिलाये जाने,
(ग) मानपुर-ढोढर मार्ग पर पुल-पुलियों का निर्माण कराये जाने,
(घ) विजयपुर-इकलोद मार्ग पर पुलियों का निर्माण कराये जाने, तथा
(ङ) ग्राम भैंसरावन से राजस्थान की सीमा तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

(2) श्री लल्लू सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के -

(क) ग्राम विक्रमपुर के वार्ड क्र. 1,3 व 10 में बिजली लगाये जाने,
(ख) ग्राम पोंगरी के उगनिहाटोला एवं ढिमरान टोला में बिजली लगाये जाने,
(ग) ग्राम पंचायत पोड़ी में विद्युतीकरण कराये जाने, तथा
(घ) ग्राम ओदरी के ठाकुर बाबा टोला, तलवा टोला, मझिलान टोला एवं अमहा-टोला में बिजली लगाये जाने,

(3) श्री छतराम देवांगन, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले के -

(क) ग्राम चारपारा के रामपुर मुहल्ला मे बिजली लगाये जाने,
(ख) ग्राम खारी के भदरापारा एवं केनाभाठा मुहल्ले मे बिजली लगाये जाने,
(ग) ग्राम जर्वे के बाबा डबरी मुहल्ला में बिजली लगाये जाने,
(घ) ग्राम बाना के मिटमऊहा मुहल्ला में बिजली लगाये जाने, तथा
(ङ) ग्राम सोनसरी में पेयजल टंकी बनाये जाने,

(4) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, सागर नगर के -

(क) एम.एल.बी. उच्चतर माध्यमिक शाला में अतिरिक्त कमरे बनाये जाने,
(ख) बाघराज कालोनी से मुख्य मार्ग तक की सड़क का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण कराये जाने, तथा
(ग) बीड़ी श्रमिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिये चिकित्सालय बनाये जाने,

-2-

(5) श्री कमल पटेल, सदस्य, तवा नहर का पानी खिरकिया तहसील के कृषकों को उपलब्ध कराये जाने, एवं

(6) ठाकुर मोहर सिह, सदस्य, विदिशा जिले में औद्योगिक इकाई तथा ग्यारसपुर में शक्कर कारखाने की स्थापना किये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि के प्रस्ताव

(1) श्री रामकिशोर शुक्ल, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"मध्यप्रदेश भूमि प्रबंधन विधेयक, 1997 (क्रमांक 30 सन् 1997) पर विचार हेतु निर्मित प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाय."

(2) श्री घनश्याम पाटीदार, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"शासकीय आवासों के आवंटन एवं उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने विषयक समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाय."

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड विधेयक, 1998 (क्रमांक 33 सन् 1998) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

7. मंत्रिमण्डल पर अविश्वास का प्रस्ताव

श्री विक्रम वर्मा, नेता प्रतिपक्ष, द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण :-

"यह सदन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में गठित मंत्रिमण्डल के प्रति अविश्वास प्रकट करता है."

भोपाल :
दिनांक : 5 अगस्त, 1998

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा